रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276900
CG-DL-E-07102026-276900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948
No. 792]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 863(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “नियंत्रक प्राधिकारी” से भारत सरकार का कारपोरेट कार्य मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति और विभागीय छानबीन समिति" से अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में क्रमशः प्रोन्नति, पुष्टि, अकृत्यिक उन्नयन और अकृत्यिक चयन श्रेणी के संबंध में विचार करने के लिए गठित समितियां अभिप्रेत हैं;

(घ) “ड्यूटी पद” से इन नियमों को अनुसूची-I के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोई पद अभिप्रेत है;

(ङ) "परीक्षा" से केन्द्रीय सेवा समूह 'क' पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "श्रेणी" से इन नियमों को अनुसूची-I के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का वही अर्थ और प्रयोजन होगा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 8 सितंबर 1993 में यथा अधिकथित है;

(झ) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 (1996 का 1) में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी के संबंध में, उस श्रेणी में चयन और नियमों के अधीन उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित कोई अवधि या अवधियाँ भी सम्मिलित होंगी-

(i) उन व्यक्तियों के मामले में, जो इन नियमों की अधिसूचना के समय उस श्रेणी में पहले से ही सेवा कर रहे हैं, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली गई अवधि;
(ii) वह अवधि, जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में किसी पद को नियमित आधार पर धारण करता, यदि वह छुट्टी पर न होता या अन्यथा ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध न होता।

(ट) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो क्रमश: संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदेशित है; और

(ड) "सेवा" से नियम 3 के उपबंधों के अनुसार गठित भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अभिप्रेत है।

3. भारतीय कारपोरेट विधि सेवा का गठन – (1) भारतीय कंपनी विधि सेवा के नाम से एक सेवा का गठन किया जाएगा।

(2) सेवा में पाँच श्रेणियाँ होंगी, अर्थात् उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ काल वेतनमान।

(3) इस सेवा में शामिल सभी पद समूह 'क' के रूप में वर्गीकृत हैं।

4. पद, प्राधिकृत संख्या और उसकी समीक्षा - (1) इन नियमों के प्रारंभ की दिनांक को पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, पद, ड्यूटी पदों की स्वीकृत संख्या, इन नियमों की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

क. इन नियमों की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट अनुसार वेतन मैट्रिक्स में ड्यूटी पदों, श्रेणियों, पदनामों और स्तरों की संख्या में परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन या उपांतरण;
ख. आयोग के परामर्श से, इन नियमों की अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी भी ड्यूटी पद को सेवा में सम्मिलित या सेवा से किसी भी ड्यूटी पद को बाहर;
ग. आयोग के परामर्श से, उप-खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद पर उपयुक्त श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति, कर सकेगी।

5. सेवा के सदस्य - (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के ऐसे विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा के विभिन्न श्रेणी में नियमित आधार पर ड्यूटी पद धारण किए हुए हैं या ऐसे पदों पर उनका धारणाधिकार है इन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे; और

(ख) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(4) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व की गई संबंधित तत्स्थानी श्रेणियों की नियमित सेवा को ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक चयन श्रेणी और अकृत्यिक उन्नयन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगठित किया जाएगा।

6. सेवा का भावी अनुरक्षण – किसी श्रेणी में कोई पद निम्नलिखित रीति से शासित होंगे और भरे जाएंगे, अर्थात् –

(क) कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में 60 प्रतिशत रिक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और उस श्रेणी में उद्भूत होने वाली शेष 40 प्रतिशत रिक्तियां इन नियमों में अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों के नियमित पदधारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(ख) सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उसके ऊपर की श्रेणी में नियुक्ति, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के सिवाय, अनुसूची-2 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ ठीक नीचे की श्रेणी के अधिकारियों से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा तथा इन नियमों में अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

(ग) सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में नियुक्ति, अनुसूची-IIक के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट पात्रता के आधार पर उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर स्थानन और इन नियमों की अनुसूची-3 के अनुसार गठित छानबीन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

(घ) सभी अधिकारियों को कनिष्ठ काल वेतनमान, ज्येष्ठ काल वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) की श्रेणियों में प्रोन्नति या स्थानन से पूर्व कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या फील्ड में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

7. अकृत्यिक उन्नयन – (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी तक) में पात्र सेवा-सदस्यों को, अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों पर, अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा। जब भी राज्य या संयुक्त काडर का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी केंद्र में किसी ऐसी विशिष्ट श्रेणी पर पदस्थापित किया जाता है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स के किसी विशिष्ट स्तर में वेतन आहरित किया जाता है, तब सेवा के ऐसे बैचों से संबंधित सेवा-सदस्य, जो उस अधिकारी से दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और जिन्हें अभी तक उस विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नत नहीं किया गया है, को केंद्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की उस विशिष्ट श्रेणी में पदस्थापना की तारीख से, अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/64/2008-स्था. (आर.आर.), दिनांक 24 अप्रैल, 2009 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार होगी।

(2)किसी विशिष्ट श्रेणी में अकृत्यिक उन्नयन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों में यथा विहित 'बेंचमार्क' सहित निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत विहित पात्रता मानदड और प्रोन्नति मानदंड भी है ,उच्चतर वेतनमान प्रदान किए जाने के लिए छानबीन के समय पूरी करनी होंगी।

(3) अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किए जाने के लिए पात्रता अवधारित करने हेतु सेवा-सदस्यों का 'बैच' निम्नानुसार होगा:-

(क) सेवा की प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ काल वेतनमान) में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा-सदस्यों के संबंध में, 'बैच' वर्ष वह वर्ष होगा, जो उस वर्ष के ठीक पश्चात् आता है जिसमें वह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके माध्यम से उनकी सेवा में नियुक्ति हुई थी। सेवा की पश्चातवर्ती श्रेणियों में प्रोन्नत सेवा-सदस्यों का बैच, विभिन्न वेतन स्तरों में अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए वही रहेगा, परंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि सेवा-सदस्य किसी कारणवश अतिष्ठित न हुआ हो। यदि किसी सेवा-सदस्य को अतिष्ठित किया जाता है, तो उस अधिकारी पर उस 'बैच' के साथ विचार किया जाएगा, जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता अवधारित की गई हो।

(ख) सेवा की प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ काल वेतनमान) में प्रोन्नति द्वारा भर्ती किए गए सेवा-सदस्यों के संबंध में, 'बैच' वर्ष उस सीधे भर्ती किए गए सेवा-सदस्य का 'बैच' होगा, जिसके साथ भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा में उनकी ज्येष्ठता को सम्मिलित किया गया है। सेवा की पश्चातवर्ती श्रेणियों में बैच वहीं रहेगा, परंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि अधिकारी

किसी कारणवश अतिष्ठित न हुआ हो। यदि किसी सेवा-सदस्य को अतिष्ठित किया जाता है, तो उस सेवा-सदस्य पर उस 'बैच' के साथ विचार किया जाएगा, जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता अवधारित की गई हो।

8. ज्येष्ठता – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा के सदस्यों की, जो नियुक्त किए गए हैं या किसी श्रेणी में पद धारण कर रहे हैं. पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व अवधारित की गई थी।

परंतु यह कि यदि ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता प्रारंभ से ठीक पहले अवधारित नहीं की गई है तो काडर नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार उसे अवधारित करेगा।

(2) सेवा के व्यक्तियों की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा- (1) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी सेवा का सदस्य दो वर्ष की अवधि के किए परिवीक्षा पर होंगे।

परंतु यह कि काडर नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि परिवीक्षा की पूर्व अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर सामान्यतया परिवीक्षा अवधि बढाने का विनिश्चय कर लिया जाए और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने का कारण बताते हुए संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचना दे दी जाए।

(2) परिवीक्षा की अवधि अथवा, यथास्थिति, उसके किसी विस्तार की अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें उनके पदों पर नियमित आधार पर बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, यथास्थिति, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तथा अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय पुष्टि समिति की सिफारिशों के आधार पर, नियत समय पर पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान अथवा, यथास्थिति, उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान सरकार की यह राय हो कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार, यथास्थिति, उस अधिकारी को सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर सेवामुक्त कर सकती है या प्रतिवर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि और उसके विस्तारण की अवधि पूरी होने पर, सेवा के सदस्य से सरकार की यह अपेक्षा है कि वह प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों में भाग ले और सरकार द्वारा समाधानप्रद परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली शर्तों के अनुसार परीक्षा और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिंदी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवारत सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होगें।

10. सेवा में नियुक्ति – सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी ड्यूटी पदों के लिए काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सभी प्रकार की नियुक्तियां की जाएंगी।

11. भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें – (1) सेवा में नियुक्त सदस्य भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) ऐसे मामले जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है से संबंधित सेवा के सदस्य की सेवा शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों पर समय – समय पर लागू होती हैं।

12. निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन – इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

अनुसूची-1

[नियम 2(घ)(छ) और 4(1),(2) देखें]

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के पदनाम, संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी और वेतनमान	पदनाम	पदों की संख्या
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15	महानिदेशक (कारपोरेट कार्य)	1
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.श्रे.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14	1. प्रादेशिक निदेशक 2. निदेशक, निरीक्षण और अन्वेषण 3. निदेशक (विधि और अभियोजन) 4. निदेशक (लोक शिकायत)	14
3.	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. संयुक्त निदेशक 4. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक	81
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12		
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. उप कंपनी रजिस्ट्रार 4. उप शासकीय समापक 5. उप निदेशक 6. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक	98
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक	153

		3. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक 4. सहायक कंपनी रजिस्ट्रार 5. सहायक शासकीय समापक 6. सहायक निदेशक	
7.	आरक्षित [ज्येष्ठ ड्यूटी पर्दा का 5% (अर्थात सेवा में ज्येष्ठ काल समयमान और उससे ऊपर के स्तर के सभी ड्यूटी पद) प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में, ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 1.5% प्रशिक्षण आरक्षित के रूप में और ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 1.5% अवकाश आरक्षित के रूप में")		15

****टिप्पण** – कनिष्ठ प्रशासनिक अकृत्यिक (चयन श्रेणी) अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान स्तर और ऊपर के सभी ड्यूटी पद) के 30 प्रतिशत के बराबर होगी और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में मंजूर पदों की संख्या तक सीमित होगी।

अनुसूची-2

[नियम 6(क) देखें]

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर किसी अधिकारी की प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए ठीक बाद की निम्नतर श्रेणी में भर्ती की रीति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा।

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की रीति	चयन अथवा अचयन पद	प्रोन्नति या अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	(i). ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रु.)की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii). ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' पदों पर की सेवा में पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा हो; या (iii). ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ऐसे अधिकारियों के लिए ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए जिन्होंने ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर पर सेवा में प्रविष्ट किया हो; या (iv). ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर सोलह वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित

				सेवा ऐसे अधिकारियों के लिए ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर पर सेवा में प्रविष्ट किया हो।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (ज्ये.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	(i). ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) की श्रेणी में जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी भी है, आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii). ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' पदों पर की सेवा में सत्रह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी स्तर-13 (1,23,00-2,15,900 रु.) में की गई सेवा भी है) में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा हो;
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	ज्येष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
4.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.)	प्रोन्नति	चयन	कनिष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-2,08,700 रु.) में चार वर्ष नियमित सेवा की है
5.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.)	40* प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	चयन	प्रोन्नति i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है। ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसे कंपनी अभियोजक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों को कंपनी अभियोजक और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।
		60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (परीक्षा के माध्यम से)	लागू नहीं होता	

टिप्पण 1 :- इन नियमों की अधिसूचना की दिनांक पर नियमित आधार पर फीडर पद, अर्थात् कंपनी अभियोजक (स्तर-7) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (स्तर-7) पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा तीन वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने

ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची-2क

[नियम 6(ग) देखें]

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती पद्धति, चयन क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और अकृत्यिक चयन श्रेणी प्रदान करने की पद्धति

क्र.सं.	श्रेणी और पद	भर्ती, नियुक्ति की रीति	चयन अथवा अचयन पद	स्थानन के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर स्थानन		(i) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी की नियमित आधार पर चयन की तारीख से संगणित उस वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रविष्ठ किया है ऐसे अधिकारी के समूह 'क' पद नियुक्त या भर्ती किया गया था; या (iii)कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कनिष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति के माध्यम से सेवा में प्रवेश किया है और जिन्होंने अकृत्यिक चयन श्रेणी के लिए विचार किए जाने की दिनांक को, अधिकारी को समूह 'क' में प्रोन्नत किए जाने वाले वर्ष से गणना की गई तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है।

अनुसूची-3

[नियम 2(ग), 6(ख),(ग) और 7(1) देखें]

(i) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

(ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के अधिकारियों के अकृत्यिक उन्नयन या अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना

क्र. सं.	**श्रेणी**	**विभागीय प्रोन्नति समितिचयन समिति/**	**विभागीय पुष्टि समिति**	**अकृत्यिक उन्नयन अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय छानबीन समिति**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.क्षे.)	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष (iii) अध्यक्ष या सदस्य, संघ		(i) सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय के दो सचिव **-सदस्य**

		लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष **सदस्य**		
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.क्षे.)	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष (ii) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य		(i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय के अपर सचिव- सदस्य (iii) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)			(i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव-सदस्य
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव- सदस्य		(i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव- सदस्य
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का. वे.)	(i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य		(i) सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय- **अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान(क.का.वे.)	(i) अध्यक्ष या सदस्यसंघ , लोक सेवा आयोग-**अध्यक्ष** (ii) निदेशक या उप सचिव,	(i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष	

		कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय- **सदस्य**	(ii) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय- **सदस्य**	

[फा. सं. 11/1/2025-Ad.II-MCA]

अंसुमन पटनायक, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

G.S.R. 863(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Corporate Law Service Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and conditions of service of the Indian Corporate Law Service, namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Indian Corporate Law Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions .-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Cadre Controlling Authority" means the Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee and Departmental Screening Committee" means Committees constituted to consider promotion, confirmation, grant of Non-Functional Upgradation and Non-Functional Selection Grade respectively in any grade as specified in Schedule-III;

(d) "duty post" means any post, specified in column (2) of Schedule-I;

(e) "Examination" means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';

(f) "Government" means the Central Government;

(g) "Grade" means a grade specified in column (2) of Schedule-I;

(h) "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in the Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated the 8th September, 1993 of the Department of Personnel and Training, as amended from time to time;

(i) "persons with disability" means the persons as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);

(j) "Regular service" in relation to any grade, means the period of service in that grade rendered after selection and regular appointment to that grade under the rules and includes any period,-

(i) taken into account for purpose of seniority in the case of those already in service in the grade at the time of notification of these rules;

(ii) during which an officer would have held a post on regular basis in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(m) "Service" means the Indian Corporate Law Service constituted under rule 3.

3. **Constitution of Indian Corporate Law Service .-** (1) There shall be a constituted Service to be known as the Indian Corporate Law Service.

(2) The Service shall comprise of five grades namely, Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade, Senior Time Scale and Junior Time Scale.

(3) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.

4. **Grades, authorised strength and its review .-** (1) The designations, levels in the pay matrix, grades, sanctioned strength of the duty posts, of commencement, shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government, by notification in Official Gazette, may,-

(a) make additions, alterations, substitutions or modifications to the number of duty posts, Grades, designations and levels in the pay matrix as specified in Schedule-I;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service any duty post or exclude from the Service any duty post mentioned in Schedule-I;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under sub-clause (b) to the appropriate Grade.

5. **Members of the Service .-** (1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-

(a) the existing officers of the Indian Corporate Law Service holding duty posts in various grades of the Service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the duty posts; and

(b) persons appointed to the duty posts under rule 6;

(2) A person referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him.

(3) A person referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of such appointment.

(4) The regular service of officers referred to in sub-rule (1) in the respective corresponding Grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, Non-Functional Selection Grade and Non- Functional Upgradation.

6. **Future maintenance of the Service. -** The posts in any of the grades shall be governed by and filled in the following manner, namely:-

(a) sixty per cent. of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of examination conducted by the Commission in accordance with rules made by the Government from time to time and the remaining forty per cent. vacancies arising in the grade shall be filled by promotion of regular incumbents of the posts as specified in Schedule-II;

(b) appointment in the grade of Senior Time scale and above in the Service except Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made by promotion on selection basis from officers in the grade immediately below with the minimum qualifying service as specified in column (4) of Schedule-II and on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the Schedule III;

(c) the appointment to the grade of Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) of the Service shall be made by placement based on seniority subject to suitability on the basis of eligibility specified in column (5) of the Schedule-IIA and on the recommendation of a Screening Committee constituted in accordance with Schedule-III;

(d) all officers shall have to complete a mandatory training of two to four weeks in the relevant area or field as specified by the Ministry of Corporate Affairs before promotion or placement to the grades of Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).

7. **Non-Functional Upgradation .-** (1) Non-functional upgradation shall be granted to the eligible members of the Service in various grades (upto Higher Administrative Grade) of the Service on the recommendations of Departmental Screening Committee, as specified in Schedule-III. Whenever any Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying pay in a specific level in the pay matrix, the members of the Service belonging to batches of the Service that are

senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative officer in that particular grade at the Centre, in accordance with Department of Personnel and training Office Memorandum No. 14017/64/2008-Estt.(RR) dated 24th April, 2009 and instructions or orders issued by the Government from time to time.

(2) The terms and conditions, including the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for Non-Functional Upgradation to a particular grade shall have to be met at the time of screening for granting of higher pay-scale as prescribed in the orders or instructions issued by the Government.

(3) The 'Batch' of the members of the Service for determining their eligibility for grant of Non-Functional Upgradation shall be as follows, -

(a) in respect of directly recruited members of the Service in the entry grade (Junior Time Scale), the 'Batch' year shall be the year following the year in which examination was held through which they were appointed to the service. The batch of the members of the Service promoted to subsequent grades of the Service shall remain the same for the purpose of grant of Non-Functional Upgradation in different pay levels, provided the member of the Service is not superseded due to any reason. In case a member of the Service is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed;

(b) in respect of members of the Service who have been recruited to the entry grade (Junior Time Scale) of the Service by promotion, the "Batch" year shall be the 'Batch' of the directly recruited member of the Service, with whom their seniority is clubbed in the Indian Corporate Law Service. In subsequent grades of the Service, the batch shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reason. In case a member of the Service is superseded, the member of the Service shall be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed.

8. **Seniority .-** (1) The relative seniority of the members of the Service, appointed or holding any grade, on commencement of these rules, shall be the same, as determined prior to such commencement:

Provided that if the seniority of any such member has not been determined prior to the commencement, the same shall be determined by the Cadre Controlling Authority in accordance with the general instructions issued by the Government.

(2) The seniority of the members appointed to the Service after commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government.

9. **Probation .-** (1) Every officer (member of the Service) on appointment to the Service either by direct recruitment or on promotion in the grade of Junior Time Scale of the Service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders or instructions issued by the Government:

Provided further that any decision for extension of the period of a probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for so doing, within the said period.

(2) On completion of the period of the probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be considered for confirmation in due course against the available vacancies, as the case may be, in terms of the orders of the Government issued from time to time, and on the basis of the recommendations of the Departmental Confirmation Committee constituted in accordance with schedule-III.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, the members of the Service may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations, and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the order or instructions issued by the Government in this regard.

10. **Appointment to the Service. -** All appointments to the Service shall be made by the Cadre Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of Service. -

(1) The members appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision has been made in these rules shall be the same as are applicable, to the Group 'A' officers of the Central Civil Service.

12. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

15. Interpretation. - If any question relating to interpretation of these rules arise, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

[*See rules 2(d), (g) and 4*]

Designation, number and level in pay matrix of duty posts included in the various grade of the Indian Corporate Law Service

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Grade and level in pay matrix</th><th>Designation.</th><th>Number of posts.</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Higher Administrative Grade (HAG), Level – 15 in the pay matrix.(Rs. 1,82,200 – 2,24,100).</td><td>Director General of Corporate Affairs.</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Senior Administrative Grade(SAG), Level – 14 in the pay matrix. (Rs. 1,44,200 – 2,18,200).</td><td>(1) Regional Director;
(2) Director of Inspection and Investigation;
(3) Director (Legal and Prosecution);
(4) Director (Public Grievances).</td><td>14</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) , Level-13 in the pay matrix. (Rs. 1,23,100 – 2,15,900).</td><td rowspan="2">(1) Registrar of Companies;
(2) Official Liquidator;
(3) Joint Director;
(4) Registrar of Companies –cum -Official Liquidator.</td><td rowspan="2">81**</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Junior Administrative Grade (JAG), Level-12 in the pay matrix. (Rs. 78,800 – 2,09,200).</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Senior Time Scale (STS), Level- 11 in the pay matrix. (Rs. 67,700 – 2,08,700).</td><td>(1) Registrar of Companies;
(2) Official Liquidator;
(3) Deputy Registrar of Companies;</td><td>98</td></tr>
</table>

		(4) Deputy Official Liquidator; (5) Deputy Director; (6) Registrar of Companies- cum-Official Liquidator.	
6.	Junior Time Scale (JTS), Level-10 in the pay matrix. (Rs. 56,100 – 1,77,500).	(1) Registrar of Companies; (2) Official Liquidator; (3) Registrar of Companies -cum-Official Liquidator; (4) Assistant Registrar of Companies; (5) Assistant Official Liquidator; (6) Assistant Director.	153
7.	**Reserve posts [“5 per cent. of Senior Duty Posts (i.e. all the duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the service) as deputation reserve, 1.5 per cent. of Senior Duty Posts as training reserve and 1.5 per cent. of Senior Duty Posts as leave reserve).**		15
		Total	**362**

****Note 1:** The Junior administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) is Non- Functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to thirty per cent. of the senior duty posts (i.e all duty posts at the level of Senior Time scale and above in the service) and the maximum number of posts in this grade shall be limited to the number of sanctioned posts in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE-II

[See rule 6 (a)]

Method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Corporate Law Service

Sl. No.	Grade.	Method of recruitment.	Whether by selection or non-selection.	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion or grant of Non- Functional Selection Grade.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG).	Promotion.	Selection.	(i) Senior Administrative Grade officers with three years regular service in level-14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200) in the pay matrix; or (ii) officers with twenty-five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in Senior Administrative Grade; or (iii) officers with twenty-one years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in Senior Administrative Grade for officers who had entered in the service at the level of Senior Time Scale; or (iv) officers with sixteen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which

				at least one year's regular service should be in Senior Administrative Grade for officers who had entered in the service at the level of Junior Administrative Grade.
2.	Senior Administrative Grade (SAG).	Promotion.	Selection.	(i) Junior Administrative Grade officers with eight years' regular service in level – 12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) in the pay matrix including Non- Functional Selection Grade; or (ii) officers with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in level-13 (Rs, 123100-215900) in the pay matrix in Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade).
3.	Junior Administrative Grade (JAG).	Promotion.	Selection.	Senior Time Scale officers with five years regular service in level – 11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) in the pay matrix.
4.	Senior Time Scale (STS).	Promotion.	Selection.	Junior Time Scale officers with four years regular service in level – 10 (Rs. 56,100 - 1,75,500) in the pay matrix.
5.	Junior Time Scale (JTS).	Forty per cent. by promotion.	Selection.	**Promotion:** (i) Company Prosecutor in level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900 – 1,42,400) with five years regular service. (ii) Senior Technical Assistant in level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900 - 1,42,400) with five years regular service. Note: Vacancies in the promotion quota shall be apportioned between Company Prosecutor and Senior Technical Assistant in the ratio of 4:7 respectively.
		Sixty per cent. by direct recruitment (through examination).	Not applicable.	

Note 1: The eligibility service for promotion shall continue to be three year for persons holding the feeder post viz. Company Prosecutor (Level-7) and Senior Technical Assistant (Level-7) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, the seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period from promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-IIA

[See rule 6 (c)]

Method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service and method of grant of Non-Functional Selection Grade to Junior Administrative Grade officers of the Indian Corporate Law Service

Serial Number.	**Grade and designation.**	**Method of recruitment/ appointment.**	**Whether by selection or non-selection.**	**Field of selection and the minimum qualifying service for placement.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Non-Functional Selection Grade	By placement on seniority basis	Non-	(i) officers in Junior Administrative Grade with five years' regular service in

	(NFSG) in Junior Administrative Grade.	subject to suitability.	selection.	Grade; or (ii) officers of the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of service as on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member was recruited in the service; or (iii) officers of the Junior Administrative Grade who have entered the service through promotion at the Junior Time Scale and have completed thirteen years of regular service calculated from the year in which the officer was promoted to Group-'A' on the date of consideration of Non-Functional Selection Grade.

SCHEDULE-III

[See rule 2(c), 6 (b), (c) and rule 7(1)]

(i) **Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases for promotion in the Indian Corporate Law Service;**

(ii) **Composition of Departmental Confirmation Committee for considering cases for confirmation in the Indian Corporate Law Service;**

(iii) **Composition of Screening Committee for considering cases for grant of Non-Functional Up-gradation or Non-Functional Selection Grade to officers of Indian Corporate Law Service.**

Sl. No.	**Grade.**	**Departmental Promotion Committee.**	**Departmental Confirmation Committee.**	**Departmental Screening Committee for considering cases for grant of Non Functional Up-gradation/ Non Functional Selection Grade .**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade (HAG).	**(i)** Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; **(ii)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Secretary, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs - Member.		**(i)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Two Secretaries of any Ministry under Government of India - Member.
2.	Senior Administrative Grade (SAG).	**(i)** Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; **(ii)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member;		**(i)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Director General Corporate Affairs or Additional Secretary of any ministry under Government of India -

		(iii) Director General Corporate Affairs or Additional Secretary Ministry of Corporate Affairs - Member.		Member; **(iii)** Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).			**(i)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Regional Director(NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.
4.	Junior Administrative Grade (JAG).	**(i)** Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; **(ii)** Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Regional Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.		**(i)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Additional Secretary or Joint Secretary Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Regional Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.
5.	Senior Time Scale (STS).	**(i)** Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Director, Ministry of Corporate Affairs - Member.		**(i)** Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Chairperson: **(ii)** Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Joint Director, Ministry of Corporate Affairs - Member.
6.	Junior Time Scale (JTS).	**(i)** Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; **(ii)** Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.	**(i)** Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairperson; **(ii)** Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member; **(iii)** Joint Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Member.	

[F. No. 11/1/2025-Ad.II-MCA]

ANSUMAN PATTNAIK, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA